कार्यालय नगर निगम, कोटा (राजस्थान)

(राज. न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत)

क्रमांक : ननिको/19/भ.नि./राम.जोन/21623 दिनांक : 30-1-18

श्री दिलीप सिंह पलायथा पुत्र श्री दलेल सिंह
जरिये :- मुख्तार आम श्री मुकेश हीरा तन्दानी
कृष्णा आवास (आगन) सिविल लाईन्स
स्टेशन रोड कोटा। (तिमो ड्रिम प्रा. लि.)

विषय : भूखण्ड संख्या कृष्णा आवास (आगन) सिविल लाइन स्टेशन रोड कोटा क्षेत्रफल वर्गमीटर 4938.66 पर बहुमंजिला भवन/फ्लेट्स/वाणिज्यिक परिसर के भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत्

प्रसंग: आपका आवेदन पत्र दिनांक 17-11-2014

उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर ~~भवन निर्माण~~ एम्पावर्ड समिति से अनुमोदित स्वीकृति ~~समिति~~ की बैठक दिनांक 21-8-2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते है / भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. यह भवन निर्माण की स्वीकृति R M Act की धारा 194 (3) (ख) के परन्तुक के तहत जारी की जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में या अन्यथा रूप से किसी भी प्रकार के हक के सृजन की कोटि में इसे भूखण्ड/मकान के स्वामित्व के साक्ष्य के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
2. स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा ध्वस्त कया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
3. संलग्न मानचित्र अनुसार बेसमेन्ट पार्किंग/स्टिल्ट पार्किंग / ~~भूतल~~ +09 मंजिल आवासीय प्लेस 30.65 मीटर ऊँचाई) निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। FAR 2.44
4. बेसमेन्ट + स्टिल्ट / भूतल का निर्माण होने पर नगर निगम को सूचित करना होगा एवं नगर निगम द्वारा जाँच उपरान्त निर्माण सही पाये जाने पर अग्रिम निर्माण किया जा सकेगा।
5. पार्किंग संबंधी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल पर दर्शाये अनुसार की जानी होगी। पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जावेगा, न इसे अन्य उपयोग में लाया जायेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा एवं पार्किंग हेतु खुला रखा जायेगा। पार्किंग क्षेत्र में किये गये किसी भी प्रकार के निर्माण को ध्वस्त करने के लिये नगर निगम स्वतंत्र होगा, जिसका हर्जा-खर्चा आपसे वसूला जावेगा। पार्किंग स्थल को निगम को समर्पित करने का शपथ पत्र देना होगा।
6. पार्किंग, लिफ्ट इत्यादि सुविधा क्षेत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी होगी।
7. आप द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग/क्षतिपूर्ति बंधपत्र के क्रम में बेसमेन्ट निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि बेसमेन्ट निर्माण के कारण आस-पास की संभावित क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. बेसमेन्ट निर्माण में निम्न शर्तें की अनुपालना करनी होगी :-
   (i) प्रत्येक भाग फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत कम से कम 2.75 मी. (9 फीट) ऊँची होगी।
   (ii) पर्याप्त वातायान की व्यवस्था करनी होगी।
   (iii) इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी कि सतह का पानी बेसमेन्ट में न पहुँचे।
   (iv) दीवारें व फर्श जलरोधी बनाने होंगे। जलरोधी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

उपायुक्त
नगर निगम, को

9. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। नगर निगम किसी भी स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियंता की देख रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. भवन की संरचना भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस संबंध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम कोटा से अग्निशमन के संबंध में अस्थाई तौर पर पत्रांक / फायर / दिनांक 938 17-10-17 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। निर्माण पश्चात् एवं भवन को उपयोग में लेने से पूर्व अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम से स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

12. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।

13. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इनफोरमल कॉमर्शियल का निर्माण कर निगम को सूचित करना होगा तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जनसाथी रोजगार योजना में निर्धारित नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।

14. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक ऊंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे।

15. समय-समय पर राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।

16. बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण भवन विनियम 2010 के अनुसार सौर ऊर्जा एवं अन्य बहुमंजिले भवनों हेतु अपेक्षित प्रावधान रखने होंगे।

17. भूखण्ड पर होटल, सिनेमा, वाणिज्यिक परिसर, बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण गृह विभाग के आदेश दिनांक 13-08-09 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा संबंधी निर्देश प्राप्त कर इनकी पालना की जानी होगा तथा अन्य समस्त वांछित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आयेगी।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

(.....जोन)

नगर निगम कोटा

क्रमांकः ननिको/मुख्या./रा.जोन/वि.जोन/ दिनांकः

प्रतिलिपि :

1. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम कोटा को स्वीकृत मानचित्र की प्रति भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य किया जावें तो, तुरन्त विस्तृत रिपोर्ट संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत करें तथा नियम विरूद्ध / अवैध निर्माण को रोकने के लिए संबंधित को पाबन्द कर अवगत करावें।

2. कार्यालय सहायक, संबंधित जोन को योजना/क्षेत्रवार स्वीकृतियो का रिकॉर्ड संधारण हेतु।

3. सुरक्षित पत्रावली ।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

(.....जोन)

नगर निगम कोटा

SHEET NO-01

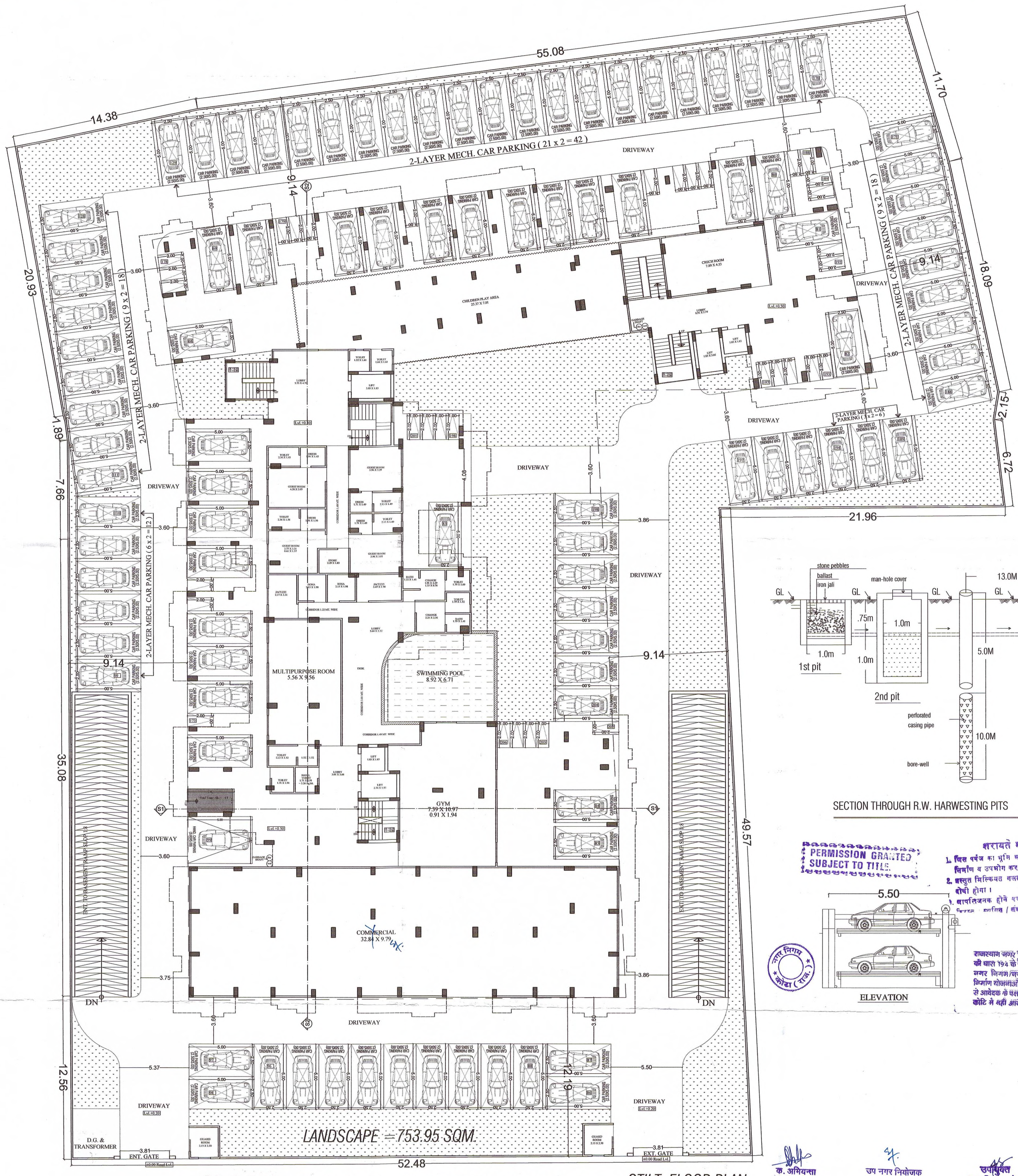

STILT FLOOR PLAN

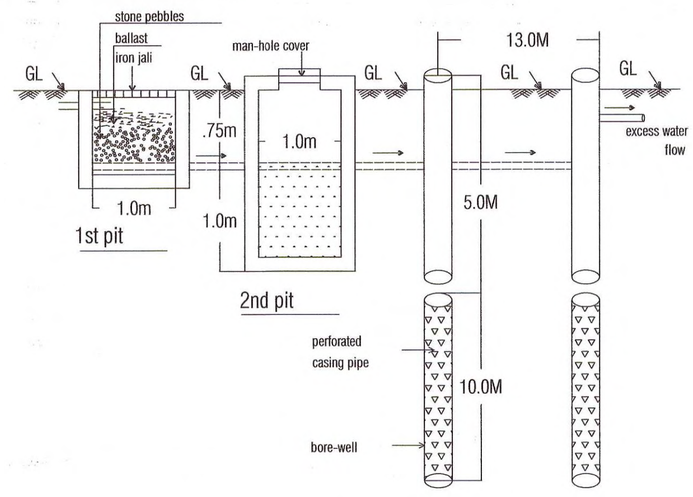

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

PERMISSION GRANTED SUBJECT TO TITLE.

शरायते मन्जूरी
1. जिस पर्यंज का भूमि भवन है उसी के अनुसार निर्माण व उपभोग कर सकेगे।
2. प्रस्तुत मिल्कियत गलत पाये जाने पर हमारी दोषी होगा।
3. आपत्तिजनक होने पर यह मंजूरी रद्दी की जिसका स्थगित / संशोधित की जा सकेगी।

ELEVATION

नगर निगम कोटा (राज.)

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आयेगी।

क. अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

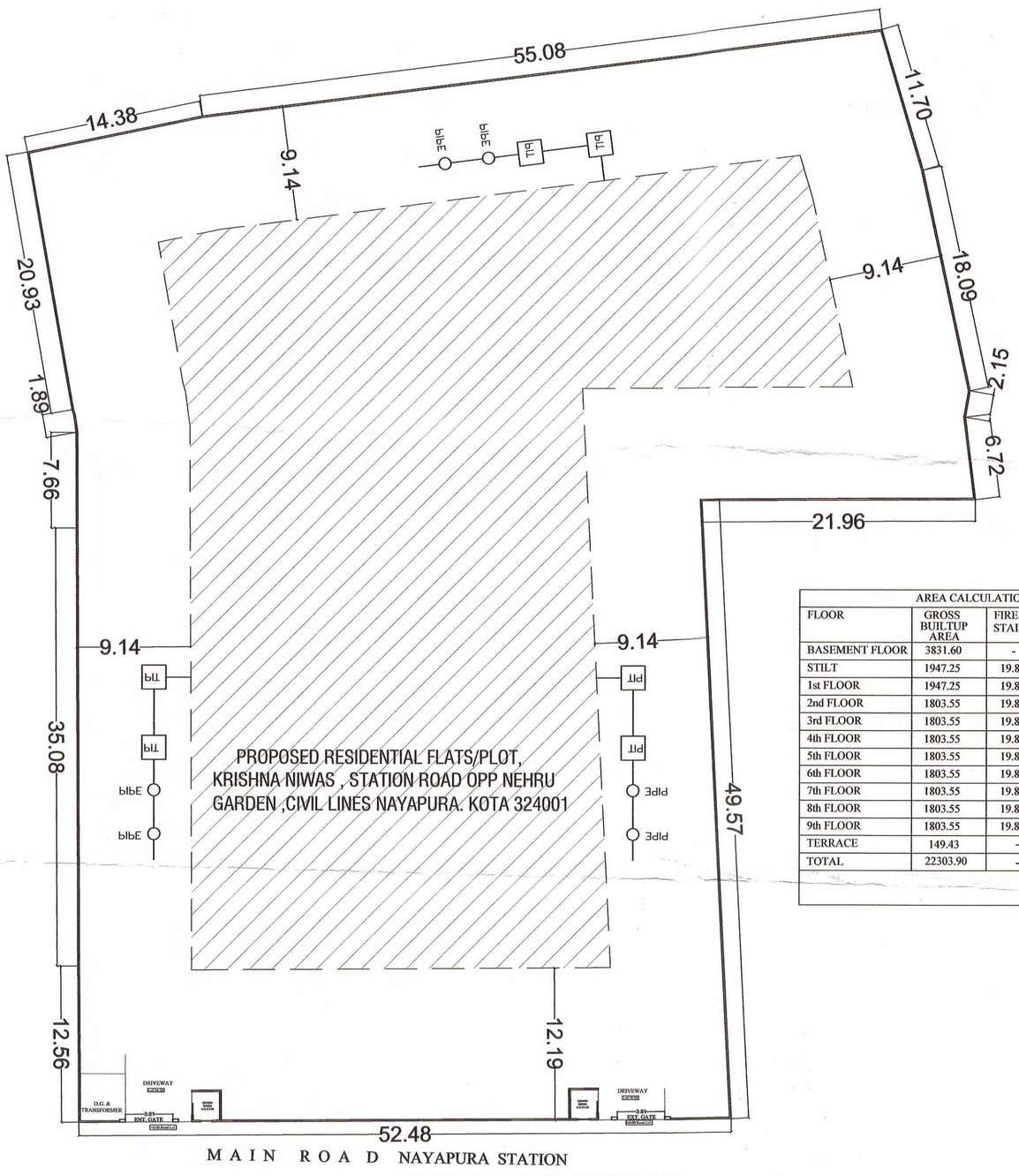

SITE PLAN & RAIN WATER HARWESTING PLAN

scale = 1:300

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 4938.66 SQ.MT.
2.	PERMISSIBLE F.A.R = 4938.66 X 3.25 = 16050.64 SQ.MT.
3.	PROPOSED F.AR. = 12084.83 SQM. (2.44)
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
6.	PERMISSIBLE LANDSCAPE (15%) =740.02 SQM.
7.	PROPOSED LANDSCAPE (15.28%)=753.95 SQM.
8.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= 40.00%
9.	PROPOSED GROUND COVERAGE= 39.40 %
10.	E.C.U. REQUIRED =(11753.46 / 75) =156.71+ 25% = 195.88 ECU E.C.U. REQUIRED COMMERCIAL =(331.37 / 50) =6.62+ 25% = 8.27 ECU TOTAL = 195.88+8.27= 204.15 ECU (154 CAR + 50.15 x 3 = 151 SCOOTER)
11.	E.C.U. PROPSED = 204 CAR. 206 SCOOTERS = 272.66 ECU

CORRIDOR	
PERMISSIBLE (15%) = 1810.38 Sq.mt. ACHIEVED (15.12%) = 1826.01 Sq.mt. EXCEED = 15.63 Sq.mt.	
STORES	
PERMISSIBLE (3%) = 362.07 Sq.mt. ACHIEVED (2.96%) = 357.84 Sq.mt. EXCEED = 0.00 Sq.mt.	
COMMERCIAL	
~~PERMISSIBLE (3%) = 362.07 Sq.mt.~~ ACHIEVED ~~(2.24%)~~ = 331.37 Sq.mt. ~~EXCEED = 0.00 Sq.mt.~~	
SERVICES	
PERMISSIBLE (7%) = 844.84 Sq.mt. ACHIEVED (4.21%) = 508.31 Sq.mt. EXCEED = 0.00 Sq.mt.	
CLUB HOUSE (20% OF STILT AREA 1947.25 Sq.mt.)	
PERMISSIBLE (20%) = 389.45 Sq.mt. ACHIEVED (17.90%) = 348.58 Sq.mt. EXCEED = 0.00 Sq.mt.	

AREA CALCULATION SHEET (Sq.mt.)

FLOOR	GROSS BUILTUP AREA	FIRE STAIRS	BALCONIES /TERRACE	CHAJJA	ELEVATION TREATMENT	BUILTUP AREA	CORRIDOR	LIFT WELL	STAIR WELL	WARD ROBE	STORES	SERVICES	HAND. TOILET	COMMERCIAL	F.A.R.	CLUB HOUSE
BASEMENT FLOOR	3831.60	-	-	-	-	3831.60	-	22.85	33.12	-	-	205.49	-	-	-	-
STILT	1947.25	19.82	-	-	-	1927.43	-	22.85	9.17	-	-	276.90	3.26	331.37	334.63	348.58
1st FLOOR	1947.25	19.82	143.70+142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
2nd FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
3rd FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
4th FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
5th FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
6th FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
7th FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
8th FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
9th FLOOR	1803.55	19.82	142.26	19.09	31.80	1590.58	202.89	22.85	9.17	9.19	39.76	2.88	-	-	1303.84	-
TERRACE	149.43	-	-	-	-	149.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22303.90	-	-	-	-	20223.70	1826.01	-	-	-	357.84	508.31	3.26	331.37	12069.20	348.58

NET F.A.R. = 12069.20 + EXCEED CORRIDOR 15.63 = 12084.83 SQ.MT.

जरिये मुख्तार खास-श्री मुकेश हीरानन्दानी पुत्र श्री अशोक कुमार
नियो ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड
कृष्णा आंगन, सिविल लाईस, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451

SCALE = 1:150

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001

OWNER

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-02

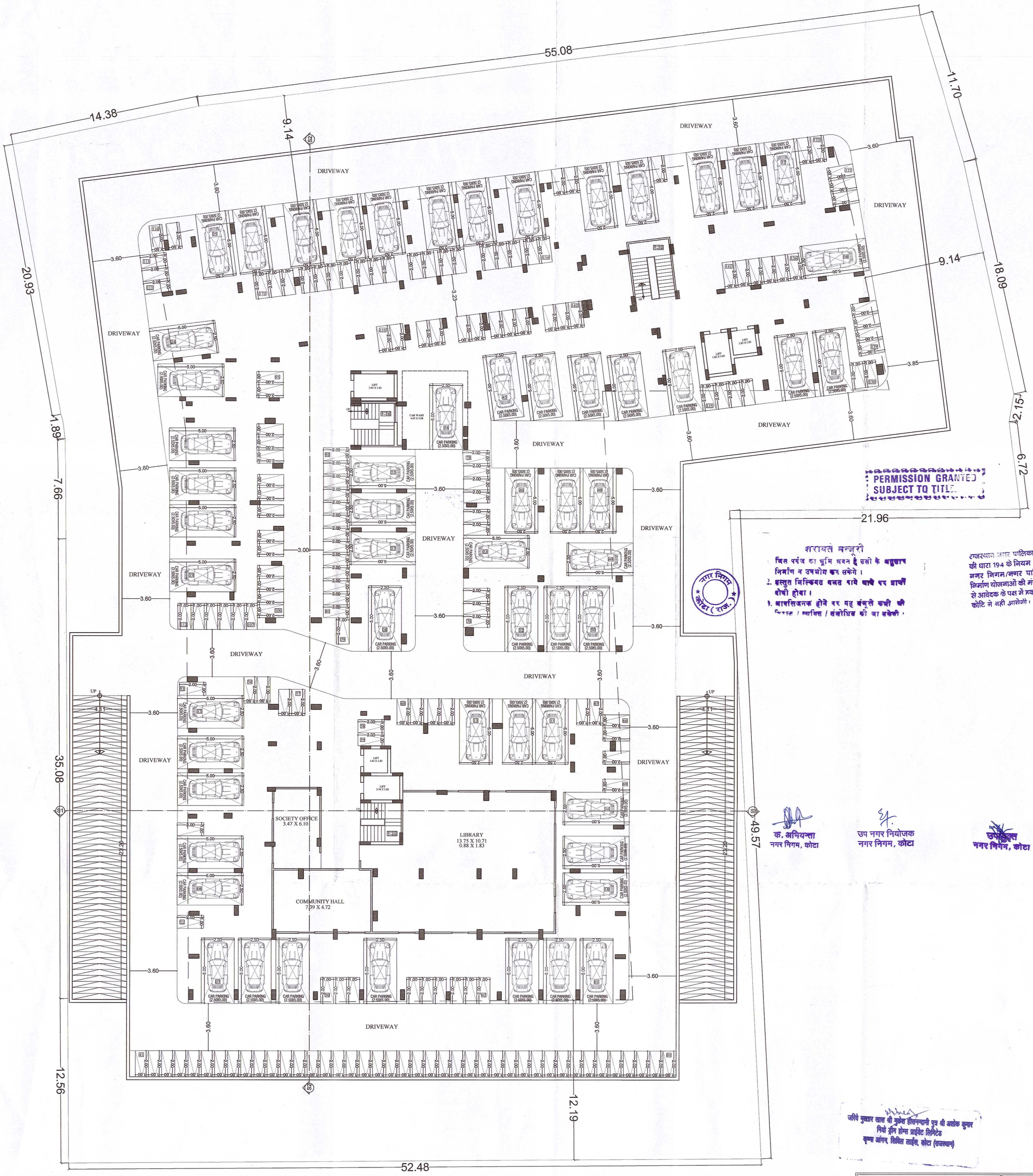

PERMISSION GRANTED SUBJECT TO TITLE

शर्तसहित मंजूरी

1. जिस पर्यंत का भूमि भवन है उसी के अनुसार निर्माण व उपयोग कर सकेंगे।
2. प्रस्तुत निर्माण बगल वाले पार्क पर प्रभावी दोषी होगा।
3. आपत्तिजनक होने पर यह मंजूरी रद्दी की जाकर / स्थगित / संशोधित की जा सकेगी।

नगर निगम कोटा (राज.)

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आयेगी।

क. अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

MAIN ROAD NAYAPURA STATION *BASEMENT FLOOR PLAN*

जरिये मुख्तार खास श्री मुकेश हीरानन्दानी पुत्र श्री अशोक कुमार
नियो ग्रीन होम्स प्राईवेट लिमिटेड
कृष्णा आंगन, सिविल लाईन, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:150

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:- info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

PERMISSION GRA...
SUBJECT TO TITLE.

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में हक का सृजन करने की कोटि में नही आयेगी।

नगर निगम कोटा (राज.)

शरायते मन्जूरी

जिस पर्वत का भूमि भवन है उसी के अनुसार निर्माण व उपभोग कर सकेंगे।
प्रस्तुत मिल्कियत बलख पाये जाने पर प्रार्थी दोषी होगा।
आपत्तिजनक होने पर यह मंजूरी कभी भी निरस्त / स्थगित / संशोधित की जा सकेगी।

क. अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

जरिये मुख्तार खास श्री मुकेश हीरानन्दानी पुत्र श्री अशोक कुमार
नियो ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड
कृष्णा आंगन, सिविल लाईंस, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

MAIN ROAD NAYAPURA STATION

1ST FLOOR PLAN

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-04

MAIN ROAD NAYAPURA STATION

TYPICAL 2ND TO 8TH FLOOR PLAN

शरायते मन्जूरी

1. जिस पर्यन्त का भूमि भवन है उसी के बहुतर विर्माण व उपभोग कर सकेगे ।
2. बल्तुत जिल्कियत बलत पाये जाने पर प्रार्थी दोषी होगा ।
3. आपत्तिजनक होने पर यह मंजूरी कभी भी निरस्त / स्थगित / संशोधित की जा सकेगी ।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओ की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में भवन का सृजन करने की कोटि मे नही आयेगी।

नगर निगम कोटा (राज.)

PERMISSION GRANTED SUBJECT TO TITLE.

क. अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

जरिये मुख्तार खास श्री मुकेश हरिनन्दानी पुत्र श्री अशोक कुमार
नियो ड्रीम होम प्राईवेट लिमिटेड
कृष्णा आंगन, सिविल लाईंस, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/2545

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-05

PERMISSION GRANTED
SUBJECT TO TITLE.

शरायते मन्जूरी

1. जिस पर्यंत का भूमि भवन है उसी के अनुसार निर्माण व उपभोग कर सकेगे।
2. प्रस्तुत मिल्कियत गलत पाये जाने पर प्रार्थी दोषी होगा।
3. आपत्तिजनक होने पर यह मंजूरी कभी भी निरस्त / स्थगित / संशोधित की जा सकेगी।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में हक का सृजन करने की कोटि मे नही आयेगी।

नगर निगम कोटा (राज.)

क. अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

जरिये मुख्तार खास श्री मुकेश हीरानन्दानी पुत्र श्री अशोक कुमार
नियो ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड
कृष्णा आंगन, सिविल लाईंस, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

MAIN ROAD NAYAPURA STATION

9TH FLOOR PLAN

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-06

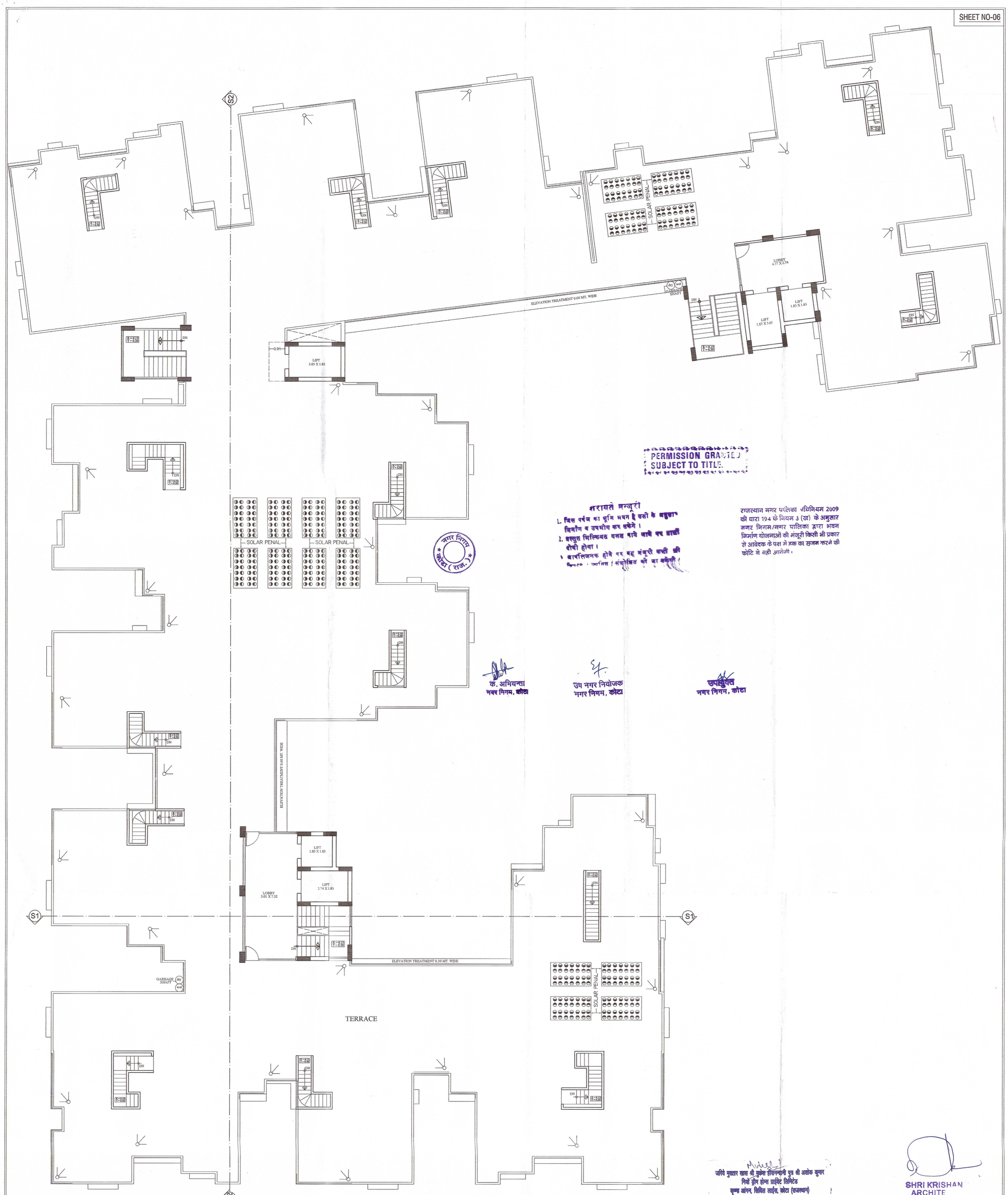

PERMISSION GRANTED SUBJECT TO TITLE.

शरायते मन्जूरी
1. जिस पर्पज का भूमि भवन है उसी के बहुला निर्माण व उपभोग कर सकेंगे।
2. वस्तुस्थिति गलत पाये जाने पर प्रार्थी दोषी होगा।
3. कार्यालयजनक होने पर यह मंजूरी रद्द की जा सकेगी।

नगर निगम कोटा (राज.)

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के नियम 3 (ख) के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आयेगी।

क. अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

जरिये मुख्तार खास श्री मुकेश शिवनन्दानी पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी ड्रीम होम प्राईवेट लिमिटेड कृष्ण आंगन, सिविल लाईंस, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN
ARCHITE
CA/99/25

SCALE = 1:100

MAIN ROAD NAYAPURA STATION

TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-07

SECTION AT S1-S1

SECTION AT S2-S2

सशर्त मंजूरी

1. किसी पर्यवेक्षण का मूलित भवन है यदि के अनुरूप निर्माण व उपयोग कर सकेंगे।
2. अनुज्ञप्त नियोजक मानक नगरे आदि का प्रावधान लागू होगा।
3. भागनियमन होने पर यह मंजूरी वापी की अधिकार / आवंटित / संबंधित की का कार्यवाही।

PERMISSION GRANTED SUBJECT TO TITLE

डा. अरविन्दमा
नगर नियोजक, कोटा

उप नगर नियोजक
नगर निगम, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

उपरोक्त मानचित्र नगर निगम कोटा नियमावली 2009 की धारा 19-4 के नियम 3 (ब) के अनुसार मानचित्र निगम/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में नहीं माना जाएगा।

जोनी कृष्णा खान की कृष्ण सीकरवाली कृष्ण की आवेदक कृष्ण
लिये प्रेम हेम सर्वेक्ट लिमिटेड
कृष्ण कॉलर, विलेज सर्वेक्ट कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN ARCHITECT
CA/99/25

SCALE – 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA. KOTA 324001		SPACE GRID C-49,KOTA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314914978,0141-4005506 (O) Email- info.spacegrid@gmail.com

FRONT ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION

सरायत मन्जूरी

बिल्डिंग का मूल नक्शा है उसी के अनुसार निर्माण न उपयोग कर सकेंगे।

2. अनुमत चित्रमय नक्शा मात्र वाले एवं सभी सेटबैक होगा।

3. कार्यालयक होने पर यह मंजूरी सभी भू किराया / लगान / संबंधित की का होगी।

PERMISSION GRANTED SUBJECT TO TITLE.

डी. मीणा
नगर नियोजक, कोटा

एम नवर नियोजक
नगर नियोजक, कोटा

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79-4 के नियम 3 (क) के अनुसार नगर नियोजन/नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में नक्शा पास होना मान्य की शर्तों के नहीं आयेगी।

अशोक कुमार खान की प्रमाण विज्ञापनों के अनुसार नियमों और शर्तों के अधीन आर्किटेक्ट
कृष्ण कॉलोनी, जिला कोटा, कोटा (राजस्थान)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100
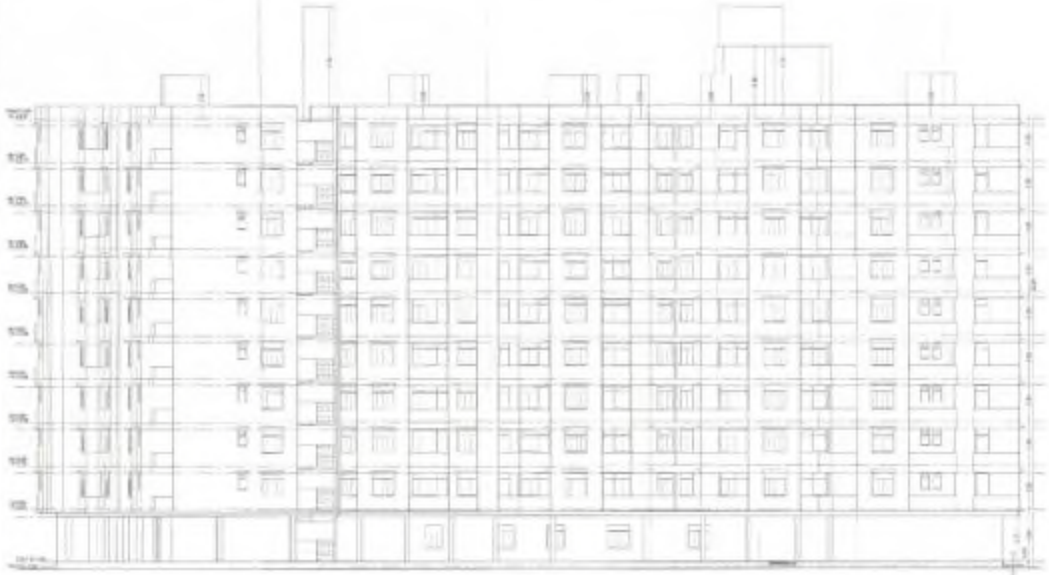
PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS/PLOT, KRISHNA NIWAS , STATION ROAD OPP NEHRU GARDEN ,CIVIL LINES NAYAPURA, KOTA 324001		SPACE GRID C-46,MEHTA APARTMENT,PARAS MARG, OPP.DEVI MEDICAL,JAIPUR STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-0091491870,0141-4005506 (O) Email- info.spacegrid@gmail.com